राजस्थान आवासन मण्डल
रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना, कोटपूतली
में उपलब्ध सम्पत्ति की मोहरबंद प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी

नीलामी बोली हेतु मोहरबंद प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 27.02.2017 से 01.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक उपखण्ड कार्यालय में	नीलामी बोली में प्राप्त मोहरबंद प्रस्तावों को खोलने की तिथि 02.03.2017 दोपहरः 02:30 बजे **स्थान – कार्यालय परियोजना अभियन्ता, वरिष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटपूतली के कार्यालय में**

क्र.सं.	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	बोली मूल्य रुपये / वर्ग मीटर में	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
1.	CB-03	Ordinary	9.00	28000/-	12600.00	-

बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, निम्नलिखित संबंधित खण्ड कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र :– कार्यालय परियोजना अभियन्ता (वरि0), रामाकृष्णापुरम, कोटपूतली–मो0 9982309179
कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड–प्रथम, भूतल, सैक्टर–04,
इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर फोन नं. 0141–2973987

(प्रतीक श्रीवास्तव)
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड–प्रथम

<u>लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप</u>

1) भूखण्ड का विवरण :
   (अ) योजना का नाम .... सैक्टर..............................
   (ब) आवासीय / वाणिज्यिक भूखण्ड / प्लिंथ लेवल निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन संख्या.. (जो लागू ना हो उसे काट दें।)
2) बिड दाता का नाम :...
3) श्रेणी–सामान्य / अनुसूचित जाति / जनजाति :...
4) संलग्न अमानत राशि रूपये... (डी0डी0 / बैंकर चैक) संख्या..............................
   दिनांक............................ जारीकर्ता बैंक का नाम..................................
5) मुहरबंद बिड खोलने की निर्धारित तिथि :...

बिडदाता के हस्ताक्षर

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

आवेदक का फोटो
स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित

1) बिडदाता का नाम :..

2) पिता / पति का नाम :..

3) सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति :...

(अ0जा0 / ज0जा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4) पता ....

.... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

5) पेन नम्बर.. (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6) दूरभाष .... मोबाईल नं0...

7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :–

(अ) योजना का नाम.. सैक्टर......................................

(ब) आवासीय / वाणिज्यिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / प्लिंथ लेवल निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन (जो लागू न हो उसे काट दें।) संख्या...........................माप.............................. के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रूपये.............................. की डी0डी0 / बैंकर चैक संख्या.................................. दिनांक................................ जारीकर्ता बैंक का नाम....................................... .... संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान आवासन मण्डल

नीलामी की शर्ते :–

1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रू. 10 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रू. 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोली दाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जप्त कर ली जावेगी ओर बोली स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि / समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नही किया जावेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर / राशि में अन्तर होने पर शब्दों में उल्लेखित बिड दर / राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बन्ध में कोई वाद / विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड/ व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन "जहॉ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।
9. आवासीय भूखण्ड/ व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदानुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मोहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश कमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तो में समय समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होगें।
14. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मेरे द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.rajasthanhousingboard.raj.govt.in से प्राप्त कर ली गई है।
15. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरित यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एक मुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।

16. सीलबन्द निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।
17. खुली बोली न्यूनतम 100/– रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबंद निविदा पर लागू नहीं होगी।
18. सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होगें।

मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रकिया :– 1. नीलामी में सम्पत्ति कय करने के इच्छुक केता अपने प्रस्ताव कय राशि दर्शाते हुए मुहरबंद निर्धारित प्रपत्र में भरकर बंद कर लिफाफे में संबंधित कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस सम्पत्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लगाया जाना आवश्यक है। 2. क्रेता को उपरोक्त सारिणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो **"राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में कोटपूतली में देय हो, संलग्न करना होगा।**

उद्घोषणा

मैं/हम .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................... बिडदाता आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या...................... योजना... .... का नाम........................ सैक्टर..................घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप , मुझे / हमे नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में मैं/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या...................... योजना...................... का नाम........................ सैक्टर...................के लिए अपनी/हमारी बिड दर रूपये (अंकों में)... (शब्दों में रूपये.......................... ....) प्रति वर्ग मीटर/प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती/करते हैं। (जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर बोलीदाता

कार्यालय आवासीय अभियंता, राज0 आवासन मण्डल,
खण्ड प्रथम, सैक्टर–04, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः रा.आ.म. / 2016–17 /   दिनांकः

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त–तृतीय, जयपुर

विषय : माह मार्च–2017 का नीलामी कार्यक्रम प्रकाशित कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खण्ड–प्रथम के अधीन रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना कोटपूतली में उपलब्ध सम्पत्ति को मोहरबंद नीलामी के माध्यम से निस्तारित करने हेतु माह मार्च–2017 में मोहरबंद नीलामी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नीलामी कार्यक्रम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रतीक श्रीवास्तव)
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड–प्रथम

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–   दिनांक :–

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत–तृतीय, जयपुर।

विषय :– खण्ड–प्रथम के अधीन उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्ति की नीलामी हेतु माह मार्च–2017 के नीलामी कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत्।

सन्दर्भ :– मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मं0, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–838 दिनांक 23/12/2016 के क्रम में।

———————————————

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खण्ड प्रथम के अधीन रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना, कोटपूतली में उपलब्ध अनिस्तारित सम्पत्ति, जिसे माह मार्च–2017 में नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाना है के नीलामी प्रस्ताव इस कार्यालय से भिजवाये गये थे। उपरोक्त उल्लेखित परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में, नीलामी प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का न्यायालय वाद विचाराधीन नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

आवासीय अभियन्ता,
खण्ड–प्रथम
जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मास्टर फाइल।

आवासीय अभियन्ता

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय,

राजस्थान आवासन मण्डल

जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर

दूरभाष संख्या :– 0141–2723844 फैक्स–0141–2554549 (E-MAIL dhcjpr3@rhbmail.in)

क्रमांक :–   दिनांक :–

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

विषय : माह मार्च–2017 का नीलामी कार्यक्रम प्रकाशित कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खण्ड–प्रथम के अधीन रामाकृष्णापुरम आवासीय योजना कोटपूतली में उपलब्ध सम्पत्ति को मोहरबंद नीलामी के माध्यम से निस्तारित करने हेतु माह मार्च–2017 में मोहरबंद नीलामी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नीलामी कार्यक्रम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनोज गुप्ता)
उप आवासन आयुक्त,
वृत–तृतीय, जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम, रा0आ0मं0, जयपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी समिति के आमंत्रण से संबंधित सूचना निर्धारित समय पर अपने स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. कार्यालय पत्रावली–नीलामी संबंधी विवरण।
3. मास्टर फाइल।

उप आवासन आयुक्त